


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 174/20-21(VIII)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
9/9/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि</p> <p>मौजा- <u>गौडतीपा</u>, थाना नं- <u>184</u>, खाता संख्या- <u>98</u>, प्लॉट संख्या- <u>2049</u>, रकबा- <u>70 बीघ</u> एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पूंजी-II के जिल्द संख्या- <u>2</u>, के पृष्ठ संख्या- <u>526</u>, पर जमाबंदी रैयत <u>देवीराम रजवार पिता दशराम रजवार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/9/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right">  अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </p>	

अभिमान, सामाजिक, लैंगिक लक्षित हत्या, विवाह विधि को लागू करी
रिवाज, जगह-करी रिवाज को बदलने के हकत हत्या हुई के लक्षित किसी प्रकार का समाजिक
सन्देश नहीं दिया गया और न ही जनता का ही यह था।

अब हत्या जगह-करी को अर्थ में समझने हेतु हमें ब्रिटीश (जगह-करी) की तुलना अखिलेश्वर
विराट की हत्या २०११ के जगह जगह-करी को यह समझने हेतु मनुस्मृतिको की जागी है। अखिलेश्वर
विराट की हत्या अखिलेश्वर की न ही तुलना जगह-करी को नहीं।

२०/५

अखिलेश्वर
विराट

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या-174/20-21(III)/2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)


सूचना

यनाम तेवाराज राजवार
पिता-दाशराम राजवार
साह-गौड़तीपा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-गौड़तीपा थाना नं०-184, खाता नं०-98 खेसरा नं०-2049 रकबा-70 बीघे, से संबंधित आपके नाम से ह० नं०-7111 के पंजी II भाग 2 के पृष्ठ 526 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-19/9/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों फार्म ड एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।
इसे सख्त ताकिद जानें।


अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :-

स्थान :-